



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक - 04.01.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 04.01.2021 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

हत्या के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना असमोली

दिनांक 03.01.2021 को वादी मंगू सिंह पुत्र इतवारी सिंह निवासी ग्राम सैफीपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा की तहरीर के आधार पर उनकी पुत्री श्रीमती पारूल पत्नी रंजीत की गला दबाकर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना असमोली पर मु0अ0स0 02/2021 धारा 302 भादवि बनाम रंजीत आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 04.01.2021 को थाना असमोली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम एचौडा कम्बोह चौराहे से अभि0गण 01. रंजीत, 02. सोनू कुमार उर्फ प्रदीप कुमार, 03. नन्हें सिंह को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल रस्सी रंजीत के घर में बने स्टोर कमरे से बरामद की गयी।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि रंजीत की शादी अब से करीब 13 वर्ष पूर्व मौ0 सैफी नगर गजरौला थाना गजरौला जनपद अमरोहा के मंगू सिंह की लडकी पारूल से हुई थी, जिससे एक लडका मौर्यस उम्र करीब 08 वर्ष भी है, रंजीत की पत्नी चरित्रहीन औरत थी, शादी के बाद से ही कई व्यक्तियों से उसके नाजायज सम्बन्ध थे, रंजीत व परिवारजन ने मृतका को बहुत समझाया और ऐसा करने को मना भी किया था तथा बताया था कि ऐसा काम छोड दे, गांव में हमारी बेईज्जती हो रही है, परन्तु वह नहीं मानती थी। इस बात की शिकायत रंजीत व परिवारीजन ने मृतका के मायके वालों से भी की थी, परन्तु उन्होने ने भी नहीं समझाया था, रंजीत की पत्नी की इन गन्दी हरकतों से हम लोग परेशान हो गये थे, इसी बात से परेशान होकर हम लोगो ने मिलकर दिनांक 03.01.2021 की रात्रि में सुबह के समय घर में बने सुअरों के बाडे में ले जाकर उसकी रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी थी, तथा उसकी लाश को वही छोड दिया था और हम भाग गये थे। जिस रस्सी से मृतका की हत्या की है वह रस्सी रंजीत ने घर में बने स्टोर जिसमें खेती का सामान पडा रहता है उसमें छिपा कर रख दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- रंजीत पुत्र नन्हें सिंह नि0 शेखपुरी खालसा थाना असमोली जनपद सम्भल
- 2- सोनू कुमार उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र नन्हें सिंह नि0 उपरोक्त
- 3- नन्हें सिंह पुत्र रामचरन नि0 उपरोक्त

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 002/2021 धारा
302 भादवि थाना असमौली
जनपद सम्भल ।

गिरफ्तारी टीम थाना असमौली जनपद सम्भल-

- 1.थानाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह
- 2.उ0नि0 श्री रोशन सिंह
- 3.उ0नि0 श्री संजय शर्मा
- 4.का0 158 हेमराज सिंह
- 5.का0 260 राजूपाल



02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

थाना गुन्नौर:- मु0अ0सं0 317/2020 धारा 188/269/270/
323/324/ 336/307 भादवि में वांछित अभियुक्त पिकू पुत्र
रामस्वरूप निवासी फरीदपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को उ0नि0
सुरेशपाल सिंह द्वारा अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया ।



थाना हयातनगर:- मु0अ0सं0 427/2020 धारा 323/325/504/307
भादवि में वांछित अभियुक्त सुरेश पुत्र जगपाल पुत्र रायपुर थाना हयातनगर
जनपद सम्भल को उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार द्वारा ग्राम रायपुर से गिरफ्तार किया
गया ।

